5%

# THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 30, 1999/MAGHA 10, 1920 ... [PART II -Sec. 3(1)]

(न्याय विभाग)

(Department of Tustice)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1999

New Delhi, the 12th January 1999

सा.का.नि. 30 :--भारत के संविधान के अनुचछेद : 222 के श्रंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्हारा निम्नलिखित आवेश करते हैं अर्थात्:--

कि भ्रान्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीण न्याय-मूर्ति श्री मनमोहन सिंह लिब्रहान, श्रान्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्रपनी सेवा अवधि के दौरान अपने बेतन के अलिरियतं 3000 है. (क्षेयल तीन हजार हपये) प्रति साह की वर ने प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

> [सं. के.-11017/1/98 यू. एस. [[] श्रीमती वीना बहुमा, निदेशक (त्याय)

G.S.R. 30.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order, namely:—

That Shri Justice Man Mohan Singh Liberhan, Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 3000 (Rupees three thousand) per month, for the period of his service as Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court.

[No. K-11017/1/98-US-II] SMT. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

. . . . . . .

## उद्योग मंद्रालय

(श्रीखोगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

नई विल्ली, 21 जनवरी, 1999

सा०का०नि० 31:—-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त पास्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग मंद्रालय के भौद्योगिक नीति भ्रौर संवर्धन विभाग में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निविखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

- ा. संक्षिप्त नाम श्रौर प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रौद्योगिक नीति श्रौर संवर्धन विभाग आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रोणी 'क' भर्ती नियम 1999 है।
  - (2) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रवृक्त होंगे ।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण श्रौर वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण श्रौर उसका वेतनमान वही होगा, जो इन निथमों मे जुपाबुद अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में स्तम्भ 14 में विनिद्दिष्ट है।
  - ्. 4. निरहेता : वह व्यक्ति---
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
    - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विधाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पान नहीं होणा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्त्रीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी-व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. णिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करकें, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यायृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट धौर अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाल गये आदेणों के अनुसार अनुमुखित जातियों, अनुसुचित जनजातियों धीर अन्य विशेष प्रथम के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	* 4
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क'	03* (तीन) (1999) *कार्यभार के आधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है ।	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अगजपन्नित अननुसचिवीय	4000-100-6000 Fo
		X	
<del>पयन-सह-ज्येष्टता</del> या	सेवा में जोड़े गए वर्षों व	का सीधे भर्ती किये जाने वाले व	प्यक्तियों के लिए आय-सीमा
योग्यता के आधार पर चयन	फायदा केन्द्रीय सिविल		• • • •
अथवा अवयन	(पेंशन) नियम, 1972	2 के	
5 Aut	नियम 30 के अधीन अ है या नहीं		
5	6		7
नागू नहीं होता	सागू नहीं होता	2	:5 वर्ष
2.36.0		सरकारी सेवकों के लिए शिष	गये अनुदेशों या आदेशों के 🏰 नुसार यस करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित
		जाति/अनुसूचित जनजाति के की जासकती है।)	अभ्योषयां के लिए 45 वर्ष तब
	To the first of the second second	की जा सकती है।)  टेप्पण: आयु-सीमा अवधारित क में अभ्यथियों से आवेदन प्राप् ग्रांतिम नारीख होगों। (सिना मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मि सिनिकम, जम्मू-कण्मीर राज्य के लाहोल भीर स्पीति जिले	रनें के लिए निर्णायक तारीख भारत त करने के लिए नियत की गई य वह म्रोतिम तारीख जो असम, जोरम, मणिपुर, नागालैंड, लिपुरा, के सद्दाख खंड, हिमाचन प्रदेण तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,
	The second second	की जा सकती है।)  टेप्पण: आयु-सीमा अवधारित क में अभ्यथियों से आवेदन प्राप् ग्रंतिम तारीख होगी। (सिवा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मि सिविकम, जम्मू-कण्मीर राज्य के लाहोल और स्पीति जिले	अभ्यायियों के लिए 45 वर्ष तक रने के लिए निर्णायक तारीख भारत त करने के लिए नियत की गई य वह म्रांतिम तारीख जो असम, जोरम, मणिपुर, नागालैंड, लिपुरा, के सहाख खंड, हिमाचल प्रदेण तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, या लक्षद्वीप के अंग्यायियों के लिए
ो <b>धे भर्ती किये जाने वाले</b> व्यक्तियों र्हताएं	के लिए अपेक्षित शैक्षिक भीर अन्य	की जा सकती है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित क में अभ्यिथियों से आवेवन प्राप् ग्रांतिम तारीख होंगी। (सिवा मेघालय, अरुणांचल प्रवेम, मि सिविकम, जम्मू-कण्मीर राज्य के लाहोल और स्पीति जिले ग्रांदमान और निकोबार द्वीप य विहित की गयी है।)  सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु ग्रोर गैंकिक अर्हताएं प्रोक्तत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	रनें के लिए निर्णायक तारीख भारत त करने के लिए नियत की गई य वह म्रोतिम तारीख जो असम, जोरम, मणिपुर, नागालैंड, लिपुरा, के सद्दाख खंड, हिमाचन प्रदेण तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,
		की जा सकती है।)  टेप्पण: आयु-सीमा अवधारित क में अध्यिथियों से आवेवन प्राप् अतिम नारीख होगी। (सिवा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मि सिविकम, जम्मू-कण्मीर राज्य के लाहोल और स्पीति जिले भंदमान और निकोबार द्वीप य विहित की गयी है।)  सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु भार शैक्षिक अर्हताएं प्रोक्षत	रनें के लिए निर्णायक तारीख भारत त करने के लिए नियत की गई य वह म्रांतिम तारीख जो असम, जोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेण तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, या लक्षद्वीप के अंग्यणियों के लिए
हैसाएं	के लिए अपेक्षित शैक्षिक भौर अन्य 8	की जा सकती है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित क में अभ्यिथियों से आवेवन प्राप् ग्रांतिम तारीख होंगी। (सिवा मेघालय, अरुणांचल प्रवेम, मि सिविकम, जम्मू-कण्मीर राज्य के लाहोल और स्पीति जिले ग्रांदमान और निकोबार द्वीप य विहित की गयी है।)  सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु ग्रोर गैंकिक अर्हताएं प्रोक्तत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	रनें के लिए निर्णायक तारीख भारत त करने के लिए नियत की गई य वह म्रोतिम तारीख जो असम, जोरम, मणिपुर, नागालैंड, लिपुरा, के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेण तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड या लक्षद्वीप के अंग्यिंपयों के लिए
र्ह्सहाएं क) 12 थां स्तर उत्तीर्ण या समह	के लिए अपेक्षित शैक्षिक भौर अन्य 8  त्य   लिए प्रनि घंटा कम से कम	की जा सकती है।)  टेप्पण: आयु-सीमा अवधारित क में अध्यिथियों से आवेदन प्राप् ग्रांतम नारीख होगी। (सिवा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मि सिविकम, जम्मू-कण्मीर राज्य के लाहोल और स्पीति जिले ग्रंदमान और निकोबार द्वीप र विहित की गयी है।)  सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु ग्रांर गैंकिक अर्हताएं प्रोक्तर व्यक्तियों की दणा में लागू होगी या नहीं	रने के लिए निर्णायक तारीख भारत त करने के लिए नियत की गई य वह म्रांतिम तारीख जो असम, जोरम, मणिपुर, नागालैंड, लिपुरा, के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेण तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड या लक्षद्वीप के अंग्यियों के लिए

टिप्पण 2: अनुभव सबंधी अर्हना (अर्हनाएं) त्रजन प्राधिकारी के विवेकाभुसार अनुसूचित जातियों श्रौर अनुसूचित जन-जातियों के अध्यायां की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयम के शिली प्रक्रम पर संबोन प्रीधिकारी की यह रोय है कि उसके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्याधियों के पर्यान्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पण 3: श्रीकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटा 8000 हुंजों अवनुमन की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी हारा ई०क्की०पी० मशीनों पर गति-परीक्षण का संचा-लन करके किया जाएगा ।

भर्ता की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोक्सित द्वारा या प्रति- प्रोक्सित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले प्रोलति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा पवों की प्रतिशतता

11

12

सीधी भर्सी

वाला)

356

टिंप्यणं: पर्वधारीं कै प्रतिनियंक्ति पर या लम्बी कृटी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अविधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे भंधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किमें हुए हैं भीर जिनके पास स्तम्भ 8 कै अधीन सीधे मर्ती किए जाने बासे व्यक्तियों के लिए

लागू नहीं होता

यवि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

बिहित अईताएँ हैं।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों नें संघ लोक सैवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

सम्ह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : निदेशक (प्रशासन)-अध्यक्ष अवर सचिव (प्रशासन)—स्वस्य अवर सचिव, घोद्योगिक नीति भीर संवर्धन विमाग-सबस्य (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने

लाग् नहीं होता

भवर सचिव (प्रशासन) भारी उधोग विभाग<del>-स</del>दस्य

[# 0 ए~12018(9)/98-€-17] एं जी व मामा कुमार, अवर सचिय

#### MINISTRY OF INDUSTRY

#### (Department of Industrial Policy & Promotion)

Now Dalhi, the 21st January, 1999

- 1. Short title and commencement,—(1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion Data Entry Operator Grade 'A', Recruitment Rules, 1999.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number, elassification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the Schodule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

- 4. Disqualification -- No person;
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse hving on
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to the provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Posts	C'assification	Scale of pay	
1	2	3	4 Rs. 4000-100-6000	
Data Entry Operator Grade 'A'	*03 (Three) 1999 *Subject to variation depending upon workload	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazet- ted, Non-Ministerial.		
Whether selection cum seniority or selection by merit	Whether benefit of ad of service admissible t 30 of the CCS (pen Rules 1972	inder Ruje	case of direct recruit	
5	б	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	7	
Not applicable	Not applicable.	years in res in case of C cordance wit	able upto 40 years upto 45 pect of SC/ST candidates Government Servants in action the instructions or orders Central Government.	
		the age limit for receipt of dates in India Mizoram, Ma laya, Arunach Ladakh Divisi & Spiti Distr	crucial date for determining shall be the closing date f applications from canditive except for those in Assam, anipur, Nagaland, Meghall Pradesh, Tripura, Sikkim ion of J & K State, Lahaul cict of Himachal Pradesh, Nicobar Islands or Laksha-	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications	Period of probation if any	direct recru	f recruitment whether uitment or by Promotic utation/absorption ex
8 **	prescribed for direct recruits will apply in the case of promo- tees		percentage of various met	of the posts to be filled the hods
8	9	10		11 -
<ul> <li>(a) 12th Standard pass or equivalent.</li> <li>(b) should possess a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work.</li> <li>NOTE 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates, otherwise well qualified.</li> <li>NOTE 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to Schedu'ed Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up vacancies reserved for them.</li> </ul>	Not applicable	Two years	Direct recru NOTE: Vacas bent being long leave other circ of one yea deputation Central Go gous post possessing	——————————————————————————————————————
NOTE 3: The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the EDP Machine(s) by the Competent Authority.		*		
w · w · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
12	13		14	
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee:			Not applicable.
	Director (Administration)—Chairman Under Secretary (Administration)—Member			364
	Under Secretary, Policy & Prom			
±. ≥	(Representing Sch Tribe)		•	
	Under Secretary (	Administrat	ion)—Member.	

Department of Heavy Industry

### नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1999

सा० का० नि० 32:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्तुक कारा प्रयत्त सक्तियों या प्रयोग करते हुए उद्योग भंतालय के भौद्योगिक नीति भौर संवर्धन विभाग में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम ग्रौर प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रौद्योगिक नीति श्रौर संवर्धन विभाग आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' ,भर्ती. नियम, 1999 है. ।
  - ं (2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण धौर वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण धौर उसका वेतनमान वही होगा, जो इन निक्यों में उपाबद्ध अनुसूची के स्पम्भ 2 से स्तम्भ 4 मीं विनिर्दिष्ट हैं।
- - 4. निरर्हताएं: वह व्यक्ति---
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
    - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्मी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पान्न नहीं होगा:

परन्त् यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति घोर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेय है भौर ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दें सकेगी।

- 5. शिषिल करने की शिवत : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आध्ययक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट श्रीर अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये अदिशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, ग्रीर अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख'	06 * (छह्) (1999)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपन्नित, अननुसक्तिवीय	4500-125-7000 ই০
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	*** **********************************	

पर गति परीक्षण का संचालन करके किया जाएगा।

[भाग 11--खंड 3 (i)]

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रोन्निति/प्रतिनियुक्ति/आपेत्सम क्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियां द्वारा भर पोन्निति/प्रतिनियुक्ति/आमेलनर्गकया जाएगा जाने वाले पद्दों की प्रतिशतता

11

.12

भर्ती की निम्नलिखित पद्मितयों में से कोई एक पद्धित :

- র্(i) प्राक्षति, जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
- (ii) सीधी भर्ती
- (iii) 50 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा, जिसके म हो सफने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा श्रीर 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोप्तति :

ऐसा आंकड़ा प्रतिष्टि प्रचालक थेणी 'क' जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष-सियमित सेवा की हैं।

प्रतिनियक्ति:

- (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :--
  - (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं, या
  - (ii) जिन्होंने 4000--6000/रु० के वेतनमान वाले पदों पर तीन सर्व निग्रमित सेवा की है, या
  - (iii) जिन्होंने 3050---4590/६० या समतुल्य चेतरमान वाले पद्यों पर 6/8 वर्ष नियमित सेवा की है, क्रीर
  - (ख) जिनके मास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए बिहित अईताएं धौर अनुभव हैं।

(प्रतिनियुक्ति की अर्वाध, जिसके अन्तर्गत केन्ग्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य साउर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अब्रिध है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

र्याद विभागीय प्रोन्नति सर्मिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समृह 'ग' विभागीय प्रोक्षति समिति :

निदेशक (मशासन)-अध्यक्ष

अवर सचिव (प्रणासन)--सदस्य

अवर सचिव, श्रौद्योगिक नीति श्रौर संवर्धन किमाग—मदस्य

(अनुसूचित जाति/भनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने घाला)

अवर सचिव (प्रशासन.) भारी उद्योग विभाग—सदस्य लागू नहीं होता

[मं ० ए-- 12018(9)/98-ई-II] ए० बी० मणि कुमार, अवर सचिव

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation if any

Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

8

9

10

11

(1) Degree of a recognised University or Not applicable equivalent,

(2) Diploma/Certificate in Computer Application/Programming from a recognised institute as per Deptt. of Electronics norms or from a recognised University.

(3) Should possess a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour, for Data Entry Work.

NOTE 1: Preference will be given to those who possess degree with Science, Mathematics, Commerce, Economics, Statistics or Computer application.

NOTE 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.

NOTE 3: The qualification(s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not liekly to be available to fill up the vacancies reserved for them.

NOTE 4: The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the EDP Machine(s), by the Competent Authority.

Two years for direct recruits. Nil for pro-

motees

Any of the following methods of recruitment:

- (i) Promotion, failling which by deputation.
- (ii) Direct Rectt.
- (iii) 50 percent by promotion failing which by deputation and 50 percent by direct recruitment.

THE GAZETLE OF INDIA: JANUARY 30, 1999/MAGHA 10, 1920

[PART II---SEC. 3(i)]

ation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment

12

13

14

Not applicable.

Promotion: Data Entry Operator Grade 'A' with six years, regular service in the grade.

Deputation:

- (a) Officers of the Central Government,
   (i) Holding analogous posts on regular basis:
  - (ii) With three years regular service in posts in the scale of Rs. 4000-6000; or
  - (iii) With 6/8 years regular service in posts in the scale of Rs. 3050—4590 or equivalent; and
- (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8, (The period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).

Group 'C' Departmental Promotion Committee:

Director (Administration)—Chairman
Under Secretary (Administration)—Member
Under Secretary, Department of Industrial
Policy & Promotion—Member.
(Representing Schedule Caste/Schedule
Tribe)

Under Secretary (Administration) Department of Heavy Industry—Member

[No. A-12018(9)/98-E-11] A. V. SASI KUMAR, Under Secy.

#### नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1999

मा. का. नि. 33 — राष्ट्रपति, संविधान के धमुच्छेद 309 के परन्तुक ढारा प्रदत्त गांक्तियों का प्रयोग करने हुए उद्योग मंत्रालय के भीचों-गिक नीति एव संवर्धन विभाग में भांकड़ा प्रविध्टि प्रचानक श्रेणी "ग" के पद पर धर्ती की पढ़ित का विनियमन करने के लिए निस्निविद्यत नियम बंजाते हैं, भर्यास् —

- 1. संक्षिप्त नाम भौर प्रारम्भ :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भौद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग भांकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी "ग" भर्ती नियम, 1998 है
  - (2) ये राजपल में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण भौर बेशनमान :--- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका बेतनमान वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसुची के स्तम्भ 2 में स्तम्भ 4 में विनिधिष्ट है।
- 3. भर्ती की पढ़ित, आयु-सीमा भीर घन्य प्रहेताएं भावि :---उक्त पद पर भर्ती की पढ़ित, आयु-सीमा, मईनाएं भीर उससे समधित भन्य बातें वे होगी जो पूर्वोक्त भनुसुची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरहेता :--वह व्यक्ति :--<sup>1</sup>
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्सी जीवित हैं ; विवाह किया है, या
- (स्त्र) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; जक्त पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकारी का यह सभाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भीर विवाह के भ्रत्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन भ्रत्ने हो प्रोर ऐसा करने के लिए भ्रत्य भाधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की णित :---जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना भाजप्यक सा समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन निसमों के किसी उपबंध को फिसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबते आदेण द्वारा विधिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई वात. ऐसे प्रारक्षण, भाग, सीमा में छूट और धन्य रियायसों पर प्रशाब नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रोथ सरकार इतरा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये घादेणों के धनुसार धनुसूचित आतियों, धनुसूचित जनजातियों, धौर ग्रम्य विशेष प्रवर्ध के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना भ्रपेक्षित है।

3

				घन, भूची	W	
	पदों की संख्या	वर्गीकरण	 बेलनमान	चथन-सह-	रोबा में जोड़े गये वर्षी	सीधें भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों
क्षा नाम	पदा जा। सन्त्रमा	4.11.			ता काप्तायवा केन्द्रीय	के लिए अप्युत्तीयर
				के भाषार पर	सिबिस सेवा (पेंशन -	
		Fig.		चयन भयवा	नियम, 1972	के
				श्रचयन 🤚	कं नियम 30 के	
					भधीन प्रमुक्तेय है	या
					नहीं	
	2	3	4	5	6	7
THE REPORT	O# (#)	साधारण केन्द्रीय	5000-150-	भागगन	लागू महीं होता	लागू नहीं होता
किहा प्रसिद्धि	2* (दो)	सेवा, समृह "ग"	৪০০০/⊸ন.			
बालक श्रेणी "ग"	1999	धराजपत्रित	00001 4.			
	<b>*कार्यभार</b> के					
F1	माधार पर	भनन् <b>म</b> चि <b>की</b> य				
	परिवर्तन किया		1			
	जा समता है।		/		*********	
ीशंधर्मी किये जाने	वासे व्यक्तियों ने जि	ए, भ्रवेक्षित मैंक्षिक भौर	सीधे भर्ती वि	काग जाने वाले व्यक्ति	1-14	बीक्षाकी भावधि,यदि क्रोई हो ।
ाव नता । तत्व नतः त्य <b>प्रहे</b> ताम्			किहित भा	यु ग्रीर मौक्षिक घ	हेताएं प्रोन्नत	
ाप भहता'',			व्यक्तियों व	ती यगा में लागू होंग	रियानहीं	
2 (VIII) 200					_ = 1111	
8				)		10
तागू नहीं होता			लाग् नहीं।			म् महीं होतर
	र्पि सीधे होगी या प्रोप्त गद्धतियों द्वारा भरे जा	ति द्वारा या प्रतिनियुपि ने वाले पदों की प्रतिकात	त/प्रामेलन	ूर्णाक् <b>रा</b>		बारता भार्ती की बमान में वे श्रीमायां जिनसे
	र्भि मीधे होगी या प्रोप्त ग्वातयों द्वारा भरे जा	भिक्वारा या प्रतिनियुपि ने बाले पर्वो की प्रतिणक	त/प्रामेलन	ूर्णाक् <b>रा</b>	त∤धनिविद्युक्ति∤धामेलन	बारता भार्ती की बमान में वे श्रीमायां जिनसे
भर्ती की पद्धति : भर प्रत्रा लथा विभिन्न प	व्यक्तियों दारा भरे जा	ने वाले पढो की प्रतिकात	त/प्रामेलन	श्रीका प्रोज्ञा	ति/प्रतिनियुक्ति/प्रामेलन ते/प्रतिनियुक्ति/प्राणेलन	बारता भार्ती की बमान में वे श्रीमायां जिनसे
नतीं की पद्धति : भर इस्त लया विभिन्न प	र्ति सीधे होगी या प्रोफ स्कृतियों कारा भरे जाः हो सकते पर प्रतिनिय्	ने वाले पढो की प्रतिकात	त/प्रामेलन	श्रीका प्रोज्ञा	त/भागिय्युष्मित/भागेणक त/प्रामित्युष्मित/भागेणक 12 स्रति :ऐसा स्रोक्टा	द्वाराः भर्ती की वपाः में वे श्रेणियां जिनसे किया जाएगः। प्रविध्टि प्रचालक श्रेणी "ख" जिस
ातीं की पद्धति : भर एरा लया विभिन्न प	व्यक्तियों दारा भरे जा	ने वाले पढो की प्रतिकात	त/प्रामेलन	श्रीका प्रोक्षा प्रो	ति/धितिनिध्युक्ति/धामेलन ते/प्रितिनिष्युक्ति/धानेलन 12 प्रति:—ऐसा धोकण उस श्रेणी धें तीन व	ढान्दाः भारतीं की वमान में। वे श्रेणियां जिनसे किया जाएगनः।
नतीं की पद्धति : भर इस्त लया विभिन्न प	व्यक्तियों दारा भरे जा	ने वाले पढो की प्रतिकात	त/प्रामेलन	जोक्त प्रोक्त प्रो प्रो प्रा	त/भागिय्युष्मित/भागेणक त/प्रामित्युष्मित/भागेणक 12 स्रति :ऐसा स्रोक्टा	बाराः भर्ती की वमान में वे श्रेमियां जिनसे किया जाएगाः। प्रविध्ट प्रचालक श्रेणी "ख" जिसने स्पं नियमित सेखा की है।
नतीं की पद्धति : भर एरा लथा विभिन्न प	व्यक्तियों दारा भरे जा	ने वाले पढो की प्रतिकात	त/प्रामेलन	श्रीका प्रोझा प्रो प्रा प्रा ("	ति/धितिनियुक्ति/धामेलन ते/प्रितिनियुक्ति/धामेलन 12 प्रति:—ऐसा धोकडा उस श्रेणी केंतीन व नेनियुक्ति -	हात्ता भर्ती की वमा में वे श्रेमियां जिनसे किया जाएगा। प्रविध्ट प्रचालक श्रेणी "ख" जिसने त्पं निस्सित सेदा की है। के ऐसे स्रिथकारी
भर्ती की पद्धति : भर प्रत्रा लथा विभिन्न प	व्यक्तियों दारा भरे जा	ने वाले पढो की प्रतिकात	त/प्रामेलन ता ।	प्रोफ्त प्रोक्त प्रो प्रा (" (i	त/क्षितिस्पृष्टिन/श्रामेणन त/प्रतिनिस्पृष्टित/श्रामेणन 12 श्रितः —ऐसा भाषका उस श्रेणी भेंतीन व तिस्पृष्टित — ह) केत्द्रीय सरकार ) जो नियमित श्राध्	बाराः भर्ती की वमान में वे श्रेमियां जिनसे किया जाएगाः। प्रविध्ट प्रचालक श्रेणी "ख" जिसने स्पं नियमित सेखा की है।
भर्ती की पद्धति : भर प्रत्रा लथा विभिन्न प	व्यक्तियों दारा भरे जा	ने वाले पढो की प्रतिकात	त/प्रामेलन ता ।	जोका प्रोक्ता प्री (" (i	ति/धनिविधुक्ति/धामेलक ते/प्रतिनिधुक्ति/धामेलक 12 स्रति :—ऐसा स्रोक्ता चस श्रेणी संतीन व तिवधुक्ति — ह) केन्द्रीय सरकार ) जो नियमित श्रयः संग वास पर्यो प्र संग वास पर्यो प्र	बाराः भर्ती की वमा में वे श्रेमियां जिनसे किया जाएगाः। प्रविध्य प्रचालक श्रेणी "ख" जिसन् त्यं नियमित सेवा की है। के ऐसे मश्रिकारी त्राच पर सर्वमः क्य श्रास्थ किये हुए हैं; य
नतीं की पद्धति : भर इस्त लया विभिन्न प	व्यक्तियों दारा भरे जा	ने वाले पढो की प्रतिकात	त/प्रामेलन ता ।	श्रीकां प्रोझां प्रा (' (i (i	ति/धितिरिधुकित/धामेलक ते/प्रतिनिधुकित/धामेलक 12  प्रति:—ऐसा धोकण चत श्रेणी धेंतीन व तियुक्ति	बारा भर्ती की वक्ता में वे श्रीमायां जिनसे किया जाएगा।  प्रविध्ट प्रचालक श्रेणी "ख" जिस्ते को ऐसे प्रश्रिकारी. तेर एस सवृक्ष वद धारण किये हुए हैं; या । 100-60.60/— क. (पुनरीक्षिक) के बेतनमा छह वर्ष नियमित सेवा की है; या 4590/— क. (पुनरीक्षित) के बेतनमा छह वर्ष नियमित सेवा की है। या समसुष्य या कार्य के लिए प्रति बंदा कम से कम 800 या कार्य के लिए प्रति बंदा कम से कम 800 या कार्य के लिए प्रति बंदा कम से कम 800
भर्ती की पद्धति : भर प्रस्रा लथा विभिन्न प	व्यक्तियों दारा भरे जा	ने वाले पढो की प्रतिकात	त/प्रामेलन ता ।	श्रीकां प्रोझां प्रा (' (i (i	ति/धितिमियुक्ति/धामेणन ते/प्रतिनियुक्ति/धामेणन 12  प्रति:—ऐसा भाक्षा उस श्रेणी भेंतीन व तियुक्ति — ह) केन्द्रीय सरकार ) जो नियमिन भ्राध् गों जिन्ह्रोंने 4000- मान वाल पदों प धाने पदों पर ख) किसी मान्यतामा	बारा भर्ती की वक्ता में वे श्रीमायां जिनसे किया जाएगा।  प्रविध्ट प्रचालक श्रेणी "ख" जिस्ते को ऐसे प्रश्रिकारी. तेर एस सवृक्ष वद धारण किये हुए हैं; या । 100-60.60/— क. (पुनरीक्षिक) के बेतनमा छह वर्ष नियमित सेवा की है; या 4590/— क. (पुनरीक्षित) के बेतनमा छह वर्ष नियमित सेवा की है। या समसुष्य या कार्य के लिए प्रति बंदा कम से कम 800 या कार्य के लिए प्रति बंदा कम से कम 800 या कार्य के लिए प्रति बंदा कम से कम 800
नतीं की पद्धति : भर इस्त लया विभिन्न प	व्यक्तियों दारा भरे जा	ने वाले पढो की प्रतिकात	त/प्रामेलन ता ।	प्रोफ्त प्रोझां प्रा (" (i (i	ति/धितिरिधुकित/धामेलक ते/प्रतिनिधुकित/धामेलक 12  प्रति :—ऐसा स्रोक्का चल श्रेणी में तीन व तेतिधुकित — ह) केत्द्रीय सरकार ) जो नियमित श्रयह गं) जिन्होंने 4000- मान वास पदों पर धां) जिन्होंने 3050- धाले पदों पर ख) किसी सान्यतामा धौर सांगड़ा प्रविष्टि कुंजी ध्यवनमन	बारा भर्ती की वमा में वे श्रेमियां जिनसे किया जाएगा।  प्रविध्ट प्रचालक श्रेणी "ख" जिस्ते प्रे नियमित सेवा की है।  के ऐसे प्रश्निकारी  कार वर सवृक्ष वय धारण किये हुए हैं; व 1-00-60.60/— के. (पुमसीक्रिक) के वेतन र तीन वर्ष नियमित सेवा की है; व 4590/— के. (पुनरीक्षित) के वेतनम छह वर्ष नियमित सेवा की है। का विश्वविद्यालय की दिग्री या समतुख्य या कार्य के नियप्रति बंटा कम से कम 800

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 30, 1999/MAGHA 10, 1920 [PAR] II--Sec. 3(i)]

विभागीय प्रोन्नति सर्मिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा धायोग किया जाएगा।	से परामर्श
1.3		1.4	
समृह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निदेशक (प्रशासन )	মুচ্যধ্ব	लाग् नहीं होता	
म्बर सचिव (प्रशासन )	सदस्य	₹	
धवर सचिव, भौद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	—सदस्य		
( भनुसूचित जाति/भनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने व	ाला )		
भवर सचिव (प्रशासन)	<del>सवस्य</del>		
भारी उद्योग विभाग			

सिं. ए.-12018 (9)/98-ई.-II]

ए. वी. शशि कुमार, भवर राखिब

New Delhi, the 21st January, 1999

G.S.R. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the Fresident hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade 'C' in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industry:-

namely :-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion Data Entry Operator Grade 'C', Recruitment Rules, 1999.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attuched thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedulc aforesaid.
  - 4. Disqualification—No person;

- (a) Who have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post-

Provided that the Central Government may, satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.-Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of the Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	
1	2	3	4	
Data Entry Operator Grade 'C'	*02 (Two) 1999 *Subject to variation depending upon workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazet- ted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	D 2

posts in the scale of Rs. 3050-4590.

(Revised).

भारत का राजपत्र : जनवरी 30,1999/माप10,1920 ----Whether selection-cum-seniority Whether benefit of added years Age limit in the case of direct recruit or selection by merit of service admissible under Rule 30 of the CCS (Penison) Rules, 1972 7 Non selection Not applicable Not applicable Educational and other qualifications Whether age Period of Method of recruitment whether by required for direct recruits and educational probation direct recruitment or by promotion qualifications if any or by deputation absorption prescribed for percentage of the posts to be filled by direct recruits various methods will apply in the case of promotees 8 9 10 Not applicable Not applicable Promotion, failing which by deputa-Not applicable In case of recruitment by promotion/depu-If a Departmental Promotion Committee tation/absorption grades from which pro-Circumstances in which exists, what is the composition motion/deputation absorption to be made UPSC is to be consulted making recruitment 12 13 14 Promotion: Group 'C' Departmental Promotion Com- Not applicable Data Entry Operator Grade 'B' with three mittee: years regular service in the grade. Director (Administration)—Chairman Deputation: Under Secretary, Department of Industrial (a) Officers of the Central Government, Policy & Promotion-Member (i) Holding analogous posts on regu-(Representing Schedule Caste/Schedule lar basis, or Tribes) (ii) With three years regular service in Under Secretary (Administration). Departposts in the scale of Rs. 4000-100ment of Heavy Industry-Member 6000 (Revised). (iii) With six years regular service in

12

(b) Possessing Degree of a recognised University or equivalent and a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work.

NOTE: The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the EDP Machine(s) by the Competent Authority.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.)

[No. A-12018(9)/98-E-J1]

A.V. SASI KUMAR, Under Secy.

## शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय मई दिल्ली, 13 जनवरी, 1999

सा.का.नि. 34 ---राष्ट्रपति, संविधान के भनुष्छेव 309 के परन्तुक द्वारा प्रदक्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, गहरी विकास संवालय उप-सलाहकार (प्रशिक्षण) भर्ती निस्म, 1985 का भीर संगीधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्राधीत्---

- (1) इत नियमों का संधिष्त नाम शहरी विकास मंत्रालय उप-सलाहकार (अभिक्षण) भर्ती (संगोधन) नियम, 1998 है।
- (2) पे राजपम में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होंगे ।
   शहरी विकास मंत्रालय, उप-पलाहकार (प्रणिक्षण) भर्ती निय 1985 में, ——
  - (क) "शहरी विकास मंत्रालय" णब्दों के स्थान पर, जहां-जहां अ भाते हैं, "शहरी कार्य भौर रोजगार मंत्रालय" शब्द रखे जाणें।
  - (ख) प्रन्सूची में, ---
    - (i) "प्रितिनियुक्ति पर स्थानांतरण" गर्ब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे माते हैं, "प्रतिनियुतिस" मन्द रखे जाएंगे ;
    - (ii) स्तंभ 4 में की प्रविष्टि "3700-125-4700-150-5000 क." कि स्थान पर "12000-375-16500 क." प्रविष्टि रखी जाएगी ;
    - (iii) स्तर्भ II में "(II) जिन्होंने 3000-4500 क के वितनमान वाले पदों या समतुल्य वैतनसान वाले पदों पर 5 वर्ष भेजा की है; श्रीर" कोष्ठकों, शब्दों भौर श्रंकों के स्थान पर "(II) जिन्होंने

रं. 10,000-325-15,200 रु. के वेतनमान या समयुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की हैं ; भौर'' शब्द रखे जाएंगे।

> [म'० ए-12011/1/98-प्रभा-J] क. के. ग्रा, भ्रयर सचिव

पाद टिप्पण----मूल नियम भारत के राजपत्न में प्रधिसूचना सं. सा. का.नि. 525 तारीख 1-6-85 द्वारा प्रकाणित किए गए थे और तत्परमात् अधिसूचना गं. मा.का.नि. 912 तारीख 5-12-1987 द्वारा संगोधिन किए गए।

# MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT

New Delhi, the 13th January, 1999

G.S.R. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 300 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Urban Development, Deputy Adviser (Training) Recruitment Rules, 1985, namely:

- 1 (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Deputy Adviser (Training) Recruitment (Amendment) Rules, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Urban Development, Deputy Adviser (Training) Recruitment Rules, 1955 :—
  - (a) for the words "Ministry of Urban Development" wherever they occur, the words "Ministry of Urban Affairs and Employment", shall be substituted;